

डिकी मुकदमा इत्दाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

1. वेदराम पुत्र रामसिंह गूर्जर
 2. रामबाबू पुत्र नारायण गूर्जर
 3. शिवराम पुत्र नारायण गूर्जर
 4. रामकिशोर पुत्र नारायण गूर्जर
- निवासीयान बलेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. रामरूप पुत्र गिराज
2. रामभरोसी पुत्र मांगीलाल
3. अमरसिंह उर्फ हरिया पुत्र श्रीलाल
4. बिज्जे उर्फ बिजेन्द्र पुत्र श्रीलाल
5. हरकेश पुत्र श्रीलाल
6. रज्जा उर्फ राजेन्द्र पुत्र श्रीलाल
7. जगदीश पुत्र पूरण
8. घनश्याम पुत्र पूरण
9. रामेश्वर पुत्र रामखिलाडी
10. तारेश पुत्र रामखिलाडी
11. भूरसिंह पुत्र रामभरोसी
12. बबुआ उर्फ रामोतार पुत्र रामरूप
13. भरतसिंह पुत्र मलुआराम
14. हररूप पुत्र बुद्धा उर्फ रामहेत

समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान बलेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।


मु0न0 70 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट, मिनकानिब गुदई रुबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः यह दावा वादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा कब्जा काश्त के अभाव मे खारिज किया जाता है।

निज.....मुवलिंग.....बावत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27.9.2021 को जारी की गई।


(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली